जेंडर परिप्रेक्ष्य में स्त्री-शिक्षा की स्थितियाँ
एक तथ्यात्मक पड़ताल

जितेंद्र लोढ़ा*

स्त्री-शिक्षा के योजनागत, ढांचागत एवं विधिक प्रयासों के बावजूद जेंडर मुद्दे पर आज भी भारतीय स्त्रियां शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर पिछड़ी हुई हैं। प्रश्न यह है कि जब विकास की हर धारा में स्त्रियों की क्रियाशीलता व योगदान बराबर का है, तो उनके सह-अस्तित्व का विमर्श उथला क्यों है? शिक्षा द्वारा स्त्रियों में स्वतंत्र चेतना का विकास हो, यह प्रयास आज भी अपनी सनातन आकांक्षा के साथ अपेक्षित है। असमानता की परतों एवं जाति तथा समुदाय आधारित लामबंदी की घटनाओं को देखते हुए आज आवश्यकता इस बात की है कि जेंडर अंतराल को समाप्त करने के लिहाज़ से शिक्षा प्रणाली में संसाधनों एवं प्रोत्साहनों की उपलब्धता के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण-शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएँ, जिसमें स्त्रियों के अनुभवों को गहराई से देखते हुए ऐसी मानसिक शैली अपनाई जाए, जो किसी भेदभाव के डर के बगैर स्त्रियों में अपने सामाजिक समूह के अनुसार अपने व्यक्तित्व को तलाशने एवं स्वयं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दे सकें। इस हेतु शिक्षा के प्रावधानों में लिंग पूर्वाग्रह मुक्त पाठ्यक्रम एवं लैंगिक-संवेदनशीलता आधारित ज्ञान को शामिल किया जाए। देश की ताज़ा जनगणना एवं वैश्विक जेंडर असमानता सूचकांक (2015) के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के उत्तीर्ण होने के प्रतिशतांक एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा में लड़कियों के प्रवेश के प्रतिशतांक में व्यापक विरोधाभास होना ही समस्या की गंभीरता व व्यापकता को दर्शाता है। इस विषमता व अंतराल को पाटने के अनेक व विविध प्रयास भी हुए हैं हम उसके लिए कृत्य-कृत्य भी हैं, फ़िर भी ताज़ा व यथार्थ स्थितियों को देखते हुए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से यह अपेक्षा बनती है कि वह जेंडर-असमानताओं को लेकर ऐसे मज़बूत ढ़ाँचे का निर्माण करें, जिसमें समग्रता व व्यापकता का भाव हो न कि भेदभाव।

* *व्याख्याता*, शिक्षा विभाग, आर एल सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान 303801

पृष्ठभूमि

शिक्षा की गुणवत्ता एवं कौशल विकास के लिहाज़ से जेंडर-संवेदनशीलता आवश्यक है। राष्ट्र की उत्पादकता अर्थात् विकास में महिलाओं की लगभग बराबर की भागीदारी है। मूल प्रश्न यह है कि जब राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों की क्रियाशीलता व योगदान बराबर का है, तो उनके सह-अस्तित्व का विमर्श उथला क्यों है?, उनके कार्यों को मान्यता क्यों नहीं दी जाती है? (जीडीपी के सदंर्भ में), उन्हें जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में भेदभाव, पूर्वाग्रह एवं असमानता का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इन सारे सवालों की पृष्ठभूमि में नब्बे के दशक के बाद भारत में स्त्री-विमर्श के क्षेत्र में कई नए मुद्दों पर ज़ोरदार बहस की शुरुआत हुई है, जिसमें महिला-सशक्तिकरण के पुराने मुद्दे के साथ-साथ बाज़ारवाद, पर्यावरण, स्त्रियों के खिलाफ़ सांप्रदायिक व प्रायोजित हिंसा एवं जेंडरभेद युक्त शिक्षा नीति इत्यादि प्रमुख हैं। स्त्री शिक्षा के जेंडर विमर्श ने कई दृष्टिकोण बदले हैं पर अब यह विमर्श एक आंदोलन व विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसे अकादमिक विषय के रूप में उभरा है, जो एकांगी पुरुषवादी दृष्टिकोण को खारिज करते हुए, ऐसे सिद्धांतों की बात करता है, जिसमें पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों के अनुभव (सह-अस्तित्व) भी शामिल हैं। इस विचार की पृष्ठभूमि में महिला-सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं में पुरुषों के समान वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र और अब तो बहुराष्ट्र (अंतर्राष्ट्रीय-परिप्रेक्ष्य) की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है। भारत में स्त्री-शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दशाओं को सुधारना है।[1]

शिक्षा द्वारा स्त्रियों में स्व तंत्र चेतना का विकास हो, इसका प्रयास आज भी अपनी चिर-परिचित आकांक्षा के साथ अपेक्षित है। पाँचवी पंचवर्षीय योजना तक स्त्री-शिक्षा का मूल उद्देश्य महिला शिक्षकों की ज़रूरतें पूरी करना था, जिसके कारण पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया, जो महिलाओं को गृहणियों और नौकरीपेशा औरतों दोनों की भूमिकाओं के अनुकूल बना दे। स्त्री-शिक्षा के योजनागत व ढाँचागत प्रयासों के बावजूद भी आज स्त्री-शिक्षा का विमर्श जेंडर असमानता के दृष्टिकोण को पूरी तरह से नहीं मिटा सका है। स्त्री शिक्षा की जेंडर मुद्दों पर असफ़लता को स्त्री संदर्भों की एक लेखिका ने अपने आलेख "देखो-देखो उनकी उच्च-शिक्षा का उजाड़" में बखूबी उजागर करते हुए लिखा है कि "स्त्री-शिक्षा और स्त्री के लिए रोज़गार की अहमियत समाज और राज्य व्यवस्था आज भी पूरी तरह से उसके स्वामी और परिवार के संदर्भ में बाँट कर परखने के आदी हैं।"[2] शिक्षा अधिकार विधेयक 2009 के लागू होने, शिक्षा में जेंडर असमानता मिटाने के अथक प्रयासों, महिला-सशक्तिकरण के विधिक उपायों के साथ-साथ महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के सादृश्य अनेक कार्यक्रमों की क्रियान्वितियों के

बावजूद भी शिक्षा की चौखट पर आज भी जेंडर परिप्रेक्ष्य में स्त्री शिक्षा के प्रश्न बाकी हैं। जो बात मुख्य व महत्वपूर्ण है, वो यह है कि शिक्षा की प्रक्रिया में महिलाओं को कितने किस्म के व कितने पुख्ता शैक्षिक-अनुभव उपलब्ध हो पाते हैं, ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े, उनमें कौशलों का इज़ाफ़ा हो, जिसके चलते वे अपना भविष्य गढ़ सकें और समाज के संचालन में बेहतर भागीदारी निभा सकें। इस संबंध में एन.सी.ई.आर.टी. के पूर्व निदेशक प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार का यह कथन एकदम समीचीन है — "स्त्रियों की कुशलताओं व निर्णयकर्ताओं के रूप में आर्थिक श्रमबल में भागीदारी की उनकी क्षमताओं को लेकर जो गहरी मानसिक बाधाएँ हैं, उन्हें लाँघा जाए, तभी जाकर हम महिला सबलीकरण के मुद्दे को शिक्षा के पटल पर सही मायने में रेखांकित कर सकेंगे।"[3]

मानवाधिकारों में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों की समाप्ति संबंधी अभिसमय, शिक्षा के क्षेत्र में विभेद के विरुद्ध यूनेस्को अभिसमय एवं यूनेस्को के महासम्मेलन के 28वें अधिवेशन की अनुमोदित घोषणाओं जैसे अनेक वैश्विक प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में विषमताओं व विभेदों को प्रतिबंधित करते हैं तथा स्त्री शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में समतामूलक शैक्षिक निर्धारणों के अगुआ हैं।[4] भारत के संविधान में स्थापित समानता का अधिकार तथा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को देखते हुए शैक्षिक पैराकारों से ज़िम्मेदारीपूर्वक अपेक्षा बनती है कि वे शिक्षा की नीतियों, योजनाओं, क्रियान्वितियों एवं पाठ्यक्रमों में जेंडर-असमानताओं के प्रति सावधानी बरतें, तब ही हम शिक्षा को समता, दक्षता एवं गुणवत्ता के पटल पर सही मायने में आंक सकेंगे। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा निर्धारणों में सांकेतिक न्यूनतावाद का दृष्टिकोण प्रचलित है। सांकेतिक न्यूनतावाद में छात्रवृत्ति प्रदान करना, बैंक में कुछ राशि प्रतिमाह जमा कराना, गणवेश, साइकिल, स्कूटी, पाठ्यपुस्तकें एवं कंप्यूटर आदि बाँटने की प्रक्रिया शामिल है। यह सच है कि ऐसे प्रोत्साहन भी उनकी व्यक्तिगत क्षमता में इज़ाफ़ा करते हैं, लेकिन स्त्री-विमर्श अर्थात् जेंडर रिश्तों के संदर्भ में शिक्षा व शैक्षिक नियोजन के समक्ष जो प्रकृति व व्यापकता है, उनसे निपटने के लिए ऐसे छोटे उपाय अपर्याप्त हैं, क्योंकि वर्तमान में भी जेंडर अंतराल की समस्या (भारत के संदर्भ में) इस कदर है कि असमानता को पाटने के लिहाज़ से बड़े व संपादित प्रयास भी छोटे लगने लग जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि जनगणना सन् 2011 की अंतिम रिपोर्ट से भी होती है — वर्ष 1901 साक्षरता वृद्धि दर पुरुष 9.83 और स्त्री 0.60 तथा वृद्धि में अंतर 9.23 तथा वर्ष 2011 में साक्षरता वृद्धि पुरुष 82.14 और स्त्री 65.46 तथा वृद्धि में अंतर 16.68 प्रतिशत है, अर्थात् शैक्षिक प्रयासों से स्त्री शिक्षा व इस दिशा की असमानताओं में सुधार तो हुआ लेकिन जेंडर अंतराल की समस्या आज भी बनी हुई है। बच्चों की स्थिति पर यूनीसेफ़ की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बच्चे भारत में हैं तथा विश्व में लगभग 12 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिनमें आधी से अधिक संख्या केवल लड़कियों की है।[5]

जेंडर परिप्रेक्ष्य में स्त्री शिक्षा की स्थितियों को देखते हुए पड़ताल का विषय यह है कि स्त्री-शिक्षा

के विकास के सुधी कार्यक्रमों व प्रयासों के बावजूद वांछित परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो कौन से रिसाव हैं, जो इस दिशा में बाधा बने हुए हैं। पिछले कई वर्षों से यह जाँचने की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि जेंडर अंतराल की समस्या को सामाजिक, क्षेत्रीय, संस्थागत एवं स्थानिक संदर्भों से देखा जाए तथा पता लगाया जाए कि इनके पर्यावरण से जेंडर रूढ़ियों को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है। भारत में जेंडर असमानता का मुद्दा जटिल सामाजिक एवं संस्थागत ढाँचे में उलझा है। इसलिए शिक्षा में जेंडर असमानताओं को एक ओर सामाजिक, आर्थिक एवं स्थान विशेष संबंधी असमानताओं और दूसरी ओर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के व्यापक ढाँचे में देखे जाने की आवश्यकता है।[6]

जेंडर परिप्रेक्ष्य में स्त्री शिक्षा की स्थितियाँ

जेंडर प्ररिप्रेक्ष्य में (भारत के विशेष संदर्भ में) स्त्री शिक्षा की स्थितियाँ पुरुष शिक्षा की तुलना में आज भी हीनेतर है, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या अब तक लड़कों से अधिक है। देश की ताज़ा जनगणना सन् 2011 के अनुसार महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। देश में पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर मात्र 65.46 प्रतिशत बनी हुई है। कुल साक्षरता वृद्धि दर 70.04 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष व स्त्री की साक्षरता वृद्धि दर में अंतर 16.68 प्रतिशत है। जेंडर असमानता और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बैंकॉक में आयोजित सम्मेलन (2014) में पेश केंद्र सरकार की रिपोर्ट भी इस बात का खुलासा करती है कि देश में प्रगतिशील शिक्षा नीति होने के बावजूद जेंडर असमानता की समस्या आज भी चुनौती है। रिपोर्ट के मुताबिक ''शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमीकरण, समानता और गुणवत्ता के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति के लिए यह मुद्दा बहुत बड़ी चुनौती है।''[7]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2014) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को मानव विकास सूचकांक में 188 देशों में 130वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस सूचकांक के लिए 0.609 अंक मिला है। यह अंक आयु, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे घटकों के अंकों पर निर्भर करता है। भारत को असमानता, विशेषकर शिक्षा में असमानता 42.1 फ़ीसदी होने के कारण 28.6 फ़ीसदी एच.डी.आई. का नुकसान हुआ, अतः यह रिपोर्ट भी जेंडर दृष्टि से शैक्षिक असमानता को प्रकट करती है।[8]

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जेंडर असमानता सूचकांक 2015 के अनुसार "भारतीय महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक भागीदारी में आगे आने से पिछले साल की तुलना में सुधरी है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर पीछे रह जाने का कारण उनका महिला होना ही है।" कुल 145 देशों के वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 114वें से 108वें स्थान पर आ गया है। यह आंशिक वृद्धि भी भारतीय महिलाओं के राजनैतिक क्षेत्र में आये उछाल से हुई है। शेष तीन मानक आर्थिक भागीदारी, शिक्षा-प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व पर भारत का प्रदर्शन बहुत खराब रहा।[9] यूनेस्को की 11वीं सर्व शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक "भारत

में धनी महिलाएँ पहले ही सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर चुकी हैं, किंतु निर्धनतम महिलाएँ 2080 के आस-पास तक ऐसा कर पाएँगी।"[10] हाल ही में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 61वीं बैठक के उद्घाटन सत्र में मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने शिक्षा में असंतुलनों को स्वीकारते हुए कहा कि "12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर-असमानताओं के साथ-साथ दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की असमानताओं को दूर किया जाएगा। इसके लिए देशभर के स्कूलों में 20 लाख अतिरिक्त सीटें बढ़ायी जाएँगी।"[11]

माध्यमिक शिक्षा से लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशतांक व उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में लड़कियों के प्रवेश के प्रतिशतांक में व्यापक विरोधाभास होना भी शिक्षा में जेंडर अंतराल को दर्शाता है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की यात्रा में शिक्षा छोड़ने की दरों व विषमताओं के आँकड़ों के विश्लेषण से यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि शिक्षा में जेंडर असमानता की समस्या आज भी मुँह खोले खड़ी है। यद्यपि स्त्रियों की साक्षरता दर (2001 से 2011 तक) में 11.79 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि इसी अंतराल में पुरुष साक्षरता दर में 6.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 के आँकड़ों से एक तथ्य और भी प्रकट हुआ है कि जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्यों में स्त्री साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से उच्च है, जबकि बड़े राज्यों में इसके उलट स्थिति है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता व नामांकन का स्तर बढ़ने, विविध व अत्यधिक योजनागत, नीतिगत, विधिक एवं संस्थागत प्रयासों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर आधारित भेदभाव आंशिक रूप से कम अवश्य हुआ है, पर समाप्त नहीं हो रहा है।

शिक्षा में जेंडर अंतराल की समस्या का समाधान आसान नहीं है। असमानता की परतों एवं जाति तथा समुदाय आधारित लामबंदी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नामांकन एवं बदलाव के मानक सूचकों से परे जाने एवं शिक्षा में लड़कियों के अनुभव को गहराई से देखने की आवश्यकता है। एनसीएफ – 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत (1.4) में इस तथ्य को स्वीकारा गया है कि जेंडर, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या असमर्थता से जनित असमानताओं के परिणामस्वरूप शिक्षा में आई प्रतिकूलताओं को सीधे संबोधित करने की आवश्यकता है, केवल नीतियों और योजनाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि शिक्षारम्भ से ही शिक्षाशास्त्रीय अभ्यासों के जरिये से भी शिक्षा में समानता के मानक गढ़े जाएँ। अतः शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि वह लड़कियों को ऐसा सामर्थ्य दे सके कि वे असमान समाजीकरण के अपने नुकसान की भरपाई कर सकें और अपनी क्षमताओं को इस प्रकार विकसित कर सकें कि आगे चल कर वे स्वायत्त और समान नागरिक बन सकें।[12] इसलिए आज की शिक्षा व्यवस्था में जेंडर तथा सामाजिक समानता के मुद्दों की दृष्टि से ऐसे ढाँचे की ज़रूरत है, जो विषम जेंडर यथार्थों एवं विविध दोषों को प्रत्यक्ष करते हुए उन्हें दूर कर सके।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जेंडर अंतराल को समाप्त करने के लिहाज़ से शिक्षा प्रणाली में संसाधनों व प्रोत्साहनों की उपलब्धता

के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएँ, जिसमें शिक्षकों व शिक्षा व्यवस्था की ऐसी मानसिक शैली हो, जो किसी मखौल व भेदभाव के डर के बगैर स्त्रियों को अपने सामाजिक समूह के अनुसार अपने व्यक्तित्व को तलाशने एवं स्वयं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दे सकें। इस हेतु शिक्षा के प्रावधानों में जेंडर पूर्वाग्रह से मुक्त पाठ्यक्रम एवं जेंडर संवेदनशीलता आधारित ज्ञान को शामिल किया जाए। हमारी किताबों को खुल्लम-खुला और गुपचुप पूर्वाग्रह एवं रूढ़ियों से मुक्त कराने के मुद्दे पर विगत कई वर्षों से शोरशराबा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे आज भी लिंग जनित भेदभावों के उदाहरणों, चित्रों एवं वाक्यों से भरी पड़ी हैं। इस यथार्थ को देखते हुए एनसीएफ – 2005 के फ़ोकस समूह ने तर्क दिया है कि शिक्षा उन व्यवस्थाओं का अटूट अंग है, जो स्थायी व समान नागरिकता प्राप्त करने हेतु पाठ्यक्रम एवं अध्यापन कला संबंधी विशेष रणनीतियाँ तैयार करेगी, ताकि बच्चे विशेषकर लड़कियाँ कमियों से उबरने एवं अपने अधिकारों व पसंदों के प्रयोग करने के कौशल विकसित कर सकें।

शिक्षा में जेंडर अंतराल का स्वीकार्य दृष्टिकोण

इस तथ्य को एक मत से स्वीकार किया जाता है कि शिक्षा में जेंडर अंतराल को एक समस्या के रूप में सामाजिक, क्षेत्रीय, स्थानिक एवं संस्थानिक स्वरूपों के एक अंतर्जाल के रूप में देखा जाता है। शिक्षा में जेंडर अंतर शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता/आपूर्ति के साथ-साथ सामाजिक रूढ़ियों, सांस्कृतिक-विश्वास एवं रीतियों, क्षेत्रीय विशेषताओं, शैक्षिक संस्थानों में संकीर्णता का पर्यावरण एवं पाठ्यक्रम व कक्षाओं के रवैये जैसे अनेक कारकों की वजह से है। इसलिए भारत में गरीबी, सामाजिक असमानता एवं जेंडर संबंधों के अंतर्जाल को समझना ज़रूरी है, ये सभी घटक राष्ट्रव्यापी स्वरूप में पृथक-पृथक एवं एक-दूसरे को प्रभावित कर असमानताओं के जाल को बुनते हैं,अतः इस तथ्य को समझना व सुलझाना वर्तमान शिक्षा-व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी चुनौती है।

पिछले कई वर्षों से यह जाँचने की ज़रूरत महसूस की गई है कि समाज के अलावा कक्षा के भीतर होने वाले व्यवहार, शिक्षक/प्रशासकों के रवैये एवं पूर्वाग्रह तथा पाठ्यक्रम से सामाजिक भेदभाव की गतिविधियाँ एवं जेंडर रूढ़ियों को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा। इस तथ्य की पुष्टि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय (MOSPI) की रिपोर्ट से होती है कि अनेक स्थितिजन्य कारकों के चलते 63.5 प्रतिशत लड़कियाँ बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ देती हैं।[13] एनसीएफ — 2005 में शिक्षा के सामाजिक संदर्भों (1.4 पृ.सं. 10) के अंतर्गत इस बात को स्वीकारा गया है कि “ग्रामीण व शहरी, गरीब वर्गों, धार्मिक व अन्य जातीय अल्पसंख्यकों एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय की लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक असुरक्षित होती हैं। शहरी इलाकों में और अनेक गाँवों में, स्कूली व्यवस्था स्वयं में अनेक स्तरों पर बंटी हुई है, और बच्चों को असाधारण रूप से अलग-अलग शैक्षिक अनुभव देती है। असमान जेंडर संबंध न केवल वर्चस्व को बढ़ावा देते हैं बल्कि

वह लड़के-लड़कियों में तनाव भी पैदा करते हैं तथा उनकी मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाते हैं। यह सबके हित में है कि मनुष्य को जेंडर असमानताओं से मुक्त कराया जाए।"

जेंडर अंतराल की शैक्षिक समस्या को लेकर शोधकर्ता मानते हैं कि इस दिशा में आर्थिक विषमताएँ एवं सामाजिक असमानताएँ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, परंतु सांस्कृतिक-विश्वास, क्षेत्रीयता एवं शैक्षिक पर्यावरण भी लिंगभेदीय शैक्षिक समस्याओं के प्रभावशाली कारक हैं। सुब्रमण्यम 2002 एवं रामचंद्रन एवं नौरेम 2013 व 2014 के अध्ययन यह प्रकट करते हैं कि शैक्षिक उपलब्धियों में व्याप्त जेंडर अंतर काफ़ी है। इस दृष्टि से हमें स्वीकारना है कि नामांकन, उपस्थिति एवं शिक्षा पूर्ण करने के मामले, पिछड़े-अगड़े इलाके, पिछड़े सामाजिक समूह विशेष कर जनजातीय, अनुसूचित जाति व मुस्लिम संदर्भ आदि में जेंडर-असमानता काफ़ी है।[14] समस्या की गंभीर स्थिति को समझते हुए वर्तमान केंद्र सरकार ने "*बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ*" जैसी महत्वाकांक्षी योजना को आरंभ में 100 करोड़ रुपये के बजट के साथ 100 संवेदनशील जिलों में लागू किया है, जिसमें लड़कियों के सामाजिक व शैक्षिक उत्थान के साथ-साथ घटते लिंगानुपात से निपटने की रणनीतियाँ निहित हैं।[15]

एन.सी.ई.आर.टी. के मार्गदर्शनीय ग्रंथ *एनसीएफ — 2005* एवं *पोजीशन पेपर ऑन जेंडर इश्यू इन एजुकेशन* का सार भाव भी यह है कि आज ऐसे शिक्षाशास्त्र व शैक्षिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जो लिंग, वर्ग, जाति एवं भौगोलिक असमानताओं के प्रति संवदेनशील व जागरूक हों। यदि संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी लक्ष्य (2000) की बात की जाए तो वर्ष 2015 तक जेंडर असमानता को मिटाने का संकल्प निर्धारित किया गया था, भारत के संदर्भ में यह संकल्प आज भी लक्ष्य की तलाश में है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा में जेंडर विमर्श को नया रूप दिया जाए, जिसमें यह समझना ज़रूरी है कि लड़कियों की शिक्षा में कई कारक बाधा डाल रहे हैं। इस संबंध में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन संस्थान के पूर्व प्रोफ़ेसर एवं वर्तमान के आई.सी.एस.एस.आर. के नेशनल फ़ैलो आर. गोविन्दा का कहना है "वास्तव में स्कूली शिक्षा से वंचित रखना केवल कोई घटना या आँकड़ा मात्र नहीं है, कोई क्षणिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे के निजी जीवन तथा परिवार के कई कारक काम करते हैं, जब कोई लड़की स्कूल छोड़ती है, तो पहले घटी कई घटनाएँ उसका कारण होती हैं। इसलिए शिक्षा में जेंडर विमर्श को नया रूप दिया जाए जो लड़कियों की स्कूली शिक्षा के बाद भी जारी रहे और उनकी निजी जीवन में घटने वाली घटनाओं की पड़ताल भी करता रहे।"[16]

यद्यपि सभी राज्यों में स्कूली पंजीकरण के लिहाज़ से जेंडर अंतर में पिछले कुछ वर्षों से कमी अवश्य दिख रही है, पर शिक्षा की पूर्णता व गुणवत्ता के पटल पर बालिका शिक्षा आज भी विफ़ल है। इसलिए हमें धरातल पर स्थायी व आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए समाज सहित स्कूलों में भेदभाव पर गंभीरता से विचार करने और सभी स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है।

कोई रास्ता छोटा नहीं है, जो मिले उसी रास्ते को पकड़कर, सरकार व नागरिक समाज इस समस्या के प्रत्येक संदर्भ पर विचार कर, सफ़ल क्रियान्वितियों को अंगीकार करें, ताकि सबल व पुरूष समकक्ष नारी शिक्षा का उदय हो। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परामर्श एवं प्रबंधन फर्म बूज एंड कंपनी की 'थर्ड बिलियन इंडेक्स' नामक रिपोर्ट का यह कथन समीचीन है कि ''भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने देश की महिलाओं के लिए असीम संभावनाएँ पैदा की हैं, इसके बावजूद महिलाओं का बड़ा हिस्सा जेंडर सांस्कृतिक परंपराओं, लिंग-भेद व संसाधनों के अभाव में अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है।[17] वर्ष 2011 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करते समय वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने जेंडर विषमताओं के पहलू को स्वीकारते हुए कहा कि राष्ट्र की समग्र गतिविधियों में महिलाओं की उचित भागीदारी दिए बिना सामाजिक प्रगति की अपेक्षा रखना बेमानी होगा।

अंतराल को पाटने के प्रयास व शैक्षिक भूमिकाएँ

इस पर हम सहमत हैं कि अधिक संख्या में स्कूलों, सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे, सार्वभौमिक नामांकन, बेहतर पी.टी.आर.,सतर्क निगरानी, पूर्वाग्रह मुक्त पाठ्यक्रम, जेंडर संवेदनशीलता आधारित ज्ञान के विकास के नीतिगत, योजनागत, विधिक एवं संस्थागत प्रयासों के साथ जन-सहभागिता के संबलन से शिक्षा में जेंडर अंतराल की खाई को पाटा जा सकता है। शिक्षा अपने ज्ञानात्मक, कौशलात्मक एवं अभिवृत्यात्मक पक्ष की भूमिकाओं को सही व सम्यक मायनों में रेखांकित कर, समतामूलक शैक्षिक पर्यावरण को जन्म दे सकती है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य मानव मात्र की वह स्वतंत्रता है, जो उसके जीवन में पूर्णता की अनुभूति जगा सके, सबके बीच समानता लाए, व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भरता लाए तथा राष्ट्रीय एकता पर बल दे, अतः शैक्षिक असमानता की दवा स्वयं शिक्षा ही है। इस निमित्त शिक्षा से अपेक्षा है कि वह महिला शिक्षार्थियों में सही दृष्टिकोण, सही विचार और निर्णय लेने की क्षमताएँ पैदा कर सके।

शिक्षा में जेंडर विषमताओं को दूर करने के लिहाज़ से स्वतंत्र भारत की सरकारों ने अनेक नीतिगत प्रयास किये हैं, जिनकी एक बानगी अग्र प्रकार है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) ने स्त्रियों के शैक्षिक अवसर बढ़ाने एवं पुरुष शिक्षा के नकलची दृष्टिकोण के स्थान पर ऐसी शिक्षा देने की बात की जिससे अच्छी व सफ़ल महिला बन सकें। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन रहा, लेकिन आयोग ने लड़कियों के प्रति गृह विज्ञान की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएँ देने एवं पृथक विद्यालय खोलने की सिफ़ारिश की। भारत सरकार द्वारा गठित दुर्गाबाई देशमुख समिति (1957) ने न्यून अवधि में पुरूष और स्त्री शिक्षा के मध्य दूरी को भरने का सुझाव दिया। स्त्री-शिक्षा के प्रति जन सहयोग के कारणों का पता लगाने के लिए गठित भक्तवत्सलम समिति (1963) ने अपने सुझाव में कहा कि शिक्षा की पहुँच का स्तर (दूरी के परिप्रेक्ष्य में) महिला शिक्षा पर प्रभाव

डालता है। इसलिए प्रत्येक 300 की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल, हर 3 मील की दूरी पर एक जूनियर हाईस्कूल तथा 5 मील की दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। हंसा मेहता समिति (1964) ने अपने प्रतिवेदन में जेंडर के आधार पर पाठ्यक्रम का विरोध किया और कहा कि प्राथमिक स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम और माध्यमिक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था का सुझाव दिया।

कोठारी आयोग (1964–66) ने अपने प्रतिवेदन में स्त्री-शिक्षा के विगत सभी प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य एवं केंद्रीय सरकारों को विशेष योजनाओं, अभिप्रेरकों एवं पर्याप्त धन की व्यवस्था कर स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र की सभी बाधाओं को दूर करने का निश्चय करना चाहिए। स्त्रियों की दशा जानने के लिए गठित फुलरेनू गुहा समिति (1971–74) ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर 'सह-शिक्षा' पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने भेदभाव पाटने के लिहाज़ से शिक्षा के महत्त्व को स्वीकारते हुए कहा कि स्त्री साक्षरता के मार्ग के सभी अवरोधों को दूर करते हुए विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ायी जाए। आचार्य राममूर्ति समिति (1990) ने शिक्षा में स्त्री की समानता के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा में 50 प्रतिशत महिला अध्यापक लगाने की बात की। प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) में स्त्रियों की पदवी सुधार हेतु शिक्षा की अभिकर्ता भूमिका को स्वीकारते हुए वंचितों की शिक्षा के लिए समावेशी प्रयासों पर बल दिया। महिला शिक्षा व कॉमन स्कूल सिस्टम पर केब की गठित कमेटी (2004) ने सुझाव दिया कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थान महिला शिक्षक रखेगा तथा संस्थानों में जेंडर संवेदनशीलता का वातावरण विकसित करने पर ज़ोर दिया जाए। राष्ट्रीय पाठ्चर्या की रूपरेखा — 2005 में शिक्षा में जेंडर असमानता को स्वीकारते हुए कहा गया कि शिक्षा उन व्यवस्थाओं का अटूट अंश है, जो बच्चों का जीवन तय करती है, इसलिए समान नागरिकता प्राप्त करने विशेषकर लड़कियों को कमियों से उबारने व अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करने के लिहाज़ से पाठ्यक्रम व अध्यापन कला की विशेष रणनीतियां तैयार करनी होंगी।[18]

विधिक उपायों के अंतर्गत शिक्षा अधिकार अधिनियम — 2009 के अंतर्गत 6 से 14 के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, जिसके चलते लड़कियों के नामांकन एवं धारण में तेज़ी आयी है। बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक — 2001 भी बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा को प्रबंधित करता है तथा जेंडर असमानता के खिलाफ़ संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। बाल-विवाह निषेध अधिनियम — 1976 और स्त्री अशिष्ट निरूपण अधिनियम — 1986 भी शिक्षा में जेंडर असमानता को दूर करने में सहायक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के मौलिक अधिकार तथा अनुच्छेद 38 व 39 राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा अधिकारपूर्वक शिक्षा में भेदभाव निषेध है। वर्ष 2002 में संविधान में 86वां संशोधन कर शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, जिसके चलते स्त्री-शिक्षा की जागरुकता का स्तर बढ़ा है। अप्रैल 1993 में

73वें और 74वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायती राज, विभिन्न संस्थानों में महिला सदस्य एवं शिक्षा में बतौर अध्यापक एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इन सभी वैधानिक प्रयासों के चलते शिक्षा में भी स्त्रियों की प्रास्थिति में सुधार अवश्य आया है।[19]

शिक्षा में जेंडर अंतराल को कम करने के लिहाज़ से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलसी), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा), मिड डे मील, समावेशी शिक्षा एवं कॉमन स्कूल जैसे महत्वपूर्ण अभियान भी वरदान साबित हुए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर असमानता घटाने के जैसे-जैसे सुझाव आते गये, वैसे-वैसे केंद्र व राज्य सरकारों ने अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इनमें आवासीय विद्यालय योजना (केजीबी), छात्रवृत्ति योजनाएँ, एकल बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना, रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण योजनाएँ, विमिन्स इंटीग्रेटेड लर्निंग फ़ॉर लाइफ़ (विल) योजना, किशोरी शक्ति योजना एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ प्रमुख हैं। पृथक-पृथक राज्यों की पृथक-पृथक योजनाएँ अलग हैं। इन सब योजनाओं के समेकित प्रभाव से बालिका शिक्षा को संबल मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर योजनाओं का लाभ किस स्तर तक पहुँचा है, यह देखना अहम बात है।

स्त्री शिक्षा के विकास व विस्तार में पंचवर्षीय योजनाओं की अहम भूमिका रही है। लगभग प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में महिला शिक्षा के विकास के लिए बजट का प्रावधान रहा है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में शिक्षा पर 149 करोड़ के बजट के साथ बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के साथ महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया था कि स्त्री पुरुषों की शैक्षिक विषमताएँ कैसे दूर हों? प्राथमिक स्तर पर लड़के-लड़कियों का समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बालिकाओं के कल्याण से हटकर बालिकाओं के विकास पर ज़ोर देने की नीति अपनाई। आठवीं योजना में पुनःविकास प्रक्रिया में बालिकाओं को समान भागीदार बनाने पर ज़ोर दिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का शैक्षिक लक्ष्य ड्राप आउट रेट को 52.2 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2011–12 तक 20 प्रतिशत स्तर तक लाने के साथ साक्षरता में जेंडर गेप को 10 प्रतिशत तक नीचा करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र, अधिक समावेशी और शिक्षा के धारणीय विकास पर ज़ोर दिया गया है। महिला शिक्षा को समावेशी शिक्षा के माध्यम से उच्च शिखर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।[20]

महिलाओं के जीवन सुधार की दृष्टि से बीजिंग (1995) में आयोजित चतुर्थ महिला संदर्भित विश्व सम्मेलन के गहन मंथन के बाद इस बात को स्वीकारा गया कि ''स्त्रियों की उन्नति व सबलीकरण का मुख्य माध्यम व आधार तो शिक्षा व शिक्षातंत्र की मंशाएँ ही हैं।'' जेंडर अंतरालों को समाप्त करने के लिहाज़ से शिक्षा स्वयं दवा अर्थात् फूल और बीज दोनों ही है। शिक्षा अपने ज्ञानात्मक पक्ष से स्त्रियों में कार्यक्षमता, दक्षता, प्रशिक्षण एवं जागरुकता

जैसे पक्षों को रेखांकित कर सकती है। अपनी कौशलात्मक भूमिका में शिक्षा, स्त्रियों में नेतृत्व, निर्णय, आत्मविश्वास, साहसिकता, स्वावलंबन एवं विकल्प चयन जैसे कौशल उकेर सकती है। अंत में लेकिन अंतिम नहीं, शिक्षा अपने अभिवृत्त्यात्मक पक्ष से स्त्रियों में जेंडर संवेदनशीलता, पेशेवराना अंदाज, श्रमसाधना, अवसरों के प्रति संवेदनशीलता के साथ पूर्णता की धारणा में विश्वास पैदा कर सकती है। इस प्रकार शिक्षा अपने इन तीनों पक्षों को नियोजित व एकीकृत स्वरूप में लागू कर, तद्नुरूप क्रियात्मक आयोजनाओं (एक्शन प्लान) को दिशा देकर, शिक्षा में जेंडर असमानताओं को दूर करने में महती भूमिका निभा सकती है।[21]

निष्कर्ष

आज़ादी के छः दशक बीत जाने के बाद, अनेक नीतिगत, योजनागत एवं विधिक सहित संस्थागत प्रयासों की लंबी सूची के बावजूद जेंडर परिप्रेक्ष्य में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है और तमाम तरह की सिफ़ारिशें व रणनीतियाँ विफ़ल हैं। स्वतंत्रता दिवस — 2014 पर देश के प्रधानमंत्री ने जेंडर असमानताओं को स्वीकारते हुए कहा कि ''डिग्निटी ऑफ़ विमेन'' के लिए कार्य करना सबका दायित्व है। स्त्री और पुरूष की असमानता, माँ के गर्भ में बेटियों की हत्या, इस 21वीं सदी के मानव का मन कितना कुलषित, कलंकित व दाग भरा है। हमें इससे मुक्ति लेनी होगी और यही आज़ादी तो आज़ादी के पर्व पर हमारे लिए संदेश है।[22] असंतुलन के इस आलम को देख कर ही केंद्र सरकार में ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' जैसी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य जेंडर भेद के पूर्वाग्रहों को समाप्त कर, बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना है। शिक्षा में जेंडर असमानता के अनेक कारक हैं तथा इन कारकों का परस्पर प्रभावों का अंतर्जाल भी है। इसके लिए हमें कुछ आधारभूत सूत्रों व सिद्धांतों पर एकमत होना पड़ेगा तथा इनको लेकर कोई समझौता नहीं किया जाए तो शायद हम जेंडर समानता के लक्ष्य को भेद पाये। इस निमित्त हमें स्त्रियों के लिए शिक्षा की सार्थक उपलब्धता, भेदभाव से मुक्ति के प्रयास तथा ज्ञान के विकास में जेंडर संवेदनशीलता को प्रमुख स्थान देना होगा।

आज भी स्त्री के कार्यों को सहायक व पूरक के रूप में देखने का नज़रिया प्रचलित है, भेदभाव की इन गहरी मानसिक जड़ों को उखाड़ने का मुख्य दायित्व शिक्षा व शिक्षा व्यवस्थाओं का ही है, क्योंकि शिक्षा जीवन के सभी क्षेत्रों के विकास की अधिष्ठात्री है। इसलिए अब नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभेद व दमन के दुष्चक्रों को तोड़ने की पहल को शिक्षा से ही शुरू करें। अब तक स्त्री-शिक्षा के लिए जो भी प्रयास हुए हैं, वो सम्यक हैं, हम उसके लिए कृत-कृत्य भी है, लेकिन आज की ताज़ा स्थितियों को देखते हुए अभी भी शिक्षा से यह अपेक्षा है कि वो जेंडर असमानताओं को लेकर ऐसे मज़बूत ढाँचे का निर्माण करें, जो विषमता के यथार्थों एवं इस दिशा के दोषों को मानव जगत से हमेशा-हमेशा के लिए विदा कर दे, तब जाकर सच्ची मानवता का उदय होगा, जिसमें समग्रता भाव का होगा न कि भेदभाव...

टिप्पणी

[1]स्त्री-सशक्तिकरण का तात्पर्य न्यूपा, नयी दिल्ली के मुखपत्र *परिप्रेक्ष्य* के अप्रैल. 2007. के अंक 1 में रजनी रंजन सिंह के आलेख "सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में महिला-सशक्तिकरण की वास्तविकताएँ" से उद्धृत किया गया है. पृ. 33.

[2]सौरभ, सुमित. "स्त्री एक शब्द नहीं है सिर्फ़". *पुस्तक वार्ता*. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र. वर्ष-5, अंक-19. जन.–फ़र. 2006. पृ. 26–27.

[3]कुमार कृष्ण. "बालिका सशक्तिकरण में कमी क्या है". *शिक्षा-विमर्श*. दिगंतर शिक्षा व खेलकूद समिति, जयपुर. वर्ष-10, अंक-3, मई–जून 2008. पृ. 17.

[4]*मानवाधिकारों व यूनेस्को के अभिसमय व घोषणाओं का उद्धरण मानव अधिकार स्रोत ग्रंथ*. एनसीईआरटी, नयी दिल्ली. 1998. के पृ. 68–79 व 183–185 से लिया गया है।

[5]यादव दयाशंकर सिंह. "भारत में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों से महिला-सशक्तिकरण". *योजना,* भा.सू.प्र.मं., नयी दिल्ली, वर्ष-60, अंक-1, जनवरी 2016. पृ. 50–51.

[6]जेंडर-अंतराल के कारकों की विवेचना विमला रामचंद्रन के भा.सू.प.मं. के मुखपत्र *योजना* में प्रकाशित आलेख "महिला एवं बालिका-शिक्षा — भारतीय परिदृश्य" से उद्धृत की गई है, जन. 2016. पृ. 29–32.

[7]जेंडर-असमानता और महिला सशक्तिकरण मुद्दे पर नवं. 2014 में बैंकॉक में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की पेश रिपोर्ट के हवाले से– *mnuidunia.jagran.com*

[8]आई.बी.एन.लाइव डॉट कॉम के हवाले से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट. 2014. उद्धृत– *m.khabar.ibnlive.com*

[9]दृष्टि आईएएस डॉट कॉम के हवाले से विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट. 2015. से 'वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स' का उद्धरण– *www.hindi.drishtiias.com*

[10]जागरण जोश डॉट कॉम के हवाले से यूनेस्को सर्व शिक्षा वैश्विक निगरानी की रिपोर्ट. 2013–14. उद्धृत– *m.jagranjosh.com*

[11]इण्डियन पंच डॉट कॉम के हवाले से केब की 61वीं बैठक से उद्धृत– *indianpunch.com*

[12]एनसीईआरटी. मई 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005*. के अध्याय प्रथम में (1.4) 'मार्गदर्शक सिद्धांत', पृ. 6. एनसीईआरटी, नयी दिल्ली.

[13]कश्यप जगन्नाथ. "समग्र प्रयास से ही सुधरेगी बेटियों की दशा". *कुरूक्षेत्र*. वर्ष-62, अंक-03, जन. 2016. पृ. 5. भा.सू.प्र.मं., नयी दिल्ली.

[14]विमला रामचंद्रन के भा.सू.प.मं. के मुखपत्र *योजना* में प्रकाशित आलेख "महिला एवं बालिका शिक्षा — भारतीय परिदृश्य" से उद्धृत की गई है. जन. 2016. पृ. 29–32.

[15]सक्सेना, ऋषभ कृष्ण. "बालिका सशक्तिकरण हेतु योजनाओं का आकलन". *कुरूक्षेत्र*. वर्ष-62, अंक-3, जन. 2016. पृ. 12. भा.सू.प्र.मं., नयी दिल्ली.

[16]गोविन्दा, आर. "भारत में स्कूली शिक्षा का कायाकल्प — नीतिगत मुद्दे तथा प्राथमिकता". *योजना*. वर्ष-60, अंक-1, जन. 2016. पृ. 11.

Chapter 3.indd 36 09-08-2017 10:05:30

[17]शुक्ला, पश्यंती. "भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति". *कुरूक्षेत्र*. वर्ष-62, अंक-3, जन. 2016. पृ. 43. भा.सू.प्र.मं., नयी दिल्ली.

[18]स्त्री शिक्षा के विभिन्न नीतिगत अंशों की *योजना* जनवरी 2005. जे.सी. अग्रवाल की पुस्तक *रिसेंट डवलपमेंट एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन* शिप्रा पब्लिकेशन नयी दिल्ली एवं *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप — 2005*. नयी दिल्ली से उद्धृत किये गये हैं।

[19]समानता को संबलन प्रदान करने के विधिक उपायों को *परिप्रेक्ष्य* न्यूपा नयी दिल्ली, एन.के. चौधरी की पुस्तक *भारतीय संविधान और शिक्षा* तथा *योजना* जन–2016. से उद्धृत है।

[20]शिक्षा में जेंडर अंतराल को कम करने से संबंधित योजनाओं व कार्यक्रमों का विवरण *प्राथमिक शिक्षक* एनसीईआरटी, नयी दिल्ली अप्रैल 2010 तथा *कुरूक्षेत्र* जनवरी–2016 से उद्धृत है।

[21]जेंडर विमर्श में शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में सिन्हा और लोढ़ा के आलेख ''आर्थिक सबलीकरण के स्त्री विमर्श में शिक्षा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व'', *भारतीय आधुनिक शिक्षा*, एनसीईआरटी, नयी दिल्ली, जुलाई-2011. के अंक से उद्धृत किये हैं।

[22]68वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन (2014) के अंशों को *विद्रप्रनि (Directorate of Advertising and Visual Publicity)* के प्रकाशित पत्र से उद्धृत किया गया है।